



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246551
CG-DL-E-15062023-246551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]
No. 349]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

सा.का.नि. 436(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 धारा और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2023 है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 में, अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 88 के सामने प्रविष्टि में, "ग-साधारण शर्तें", शर्त 12 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह कि जेनसेट और जेनसेट इंजन की आपूर्ति, जिसके संबंध में 30 जून, 2023 को या उससे पूर्व विनिर्माता द्वारा विक्रय आदेश प्राप्त हो गया है, इस दशा में परिभाषित मानदंड के अनुसार 30 जून, 2024 तक अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।”

[फा. सं. क्यू-15017/05/2012-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्या का0आ0 844(अ), तारीख 19 नवंबर 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 414 (अ), तारीख 05 जून 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2023

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub rules (3) of the rules 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Environment (Protection) fourth Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules 1986, in the schedule I, in the entries against serial number 88, in item “C. the General Condition”, in condition 12, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the supply of Genset and Genset engine in respect of which purchase order has been received by the manufacturer on or before the 30th June, 2023 shall be permitted upto the 30th June, 2024 as per the norms defined in this condition.”

[F. No. Q-15017/05/2012-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November 1986 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 414(E) dated the 05th June, 2023.